रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 732] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 11, 2018/आश्विन 19, 1940
No. 732] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 2018/ASVINA 19, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 1022 (अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम की अनुसूची-III में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अनुसूची में,-

(क) भाग-I में,-

(i) शीर्ष "कंपनी का तुलन पत्र और लाभ हानि विवरण तैयार करने के लिए समान्य निर्देश" के अधीन, पैरा 4 में, खंड (ii) में उप-शीर्ष "समान्य निर्देश" के अंतर्गत, "होगा" शब्द के स्थान पर "चाहिए" शब्द रखे जाएँगे;

(ii) भाग-I में- तुलन पत्र,-

(क) शीर्ष "II आस्तियां" के अधीन, उप शीर्ष "गैर-चालू आस्तियाँ" के अधीन "स्थिर आस्तियाँ" शब्दों के स्थान पर "संपत्ति, संयत्र और उपकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 6 में, शीर्ष "तुलन पत्र तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश" के अधीन, "टिप्पण" में,-

(I) मद (i) के उप मद (ग) में, शीर्ष "ख. आरक्षितियाँ और अधिशेष" के अधीन, "आरक्षित" शब्द का लोप किया जाएगा;

(II) खंड ब में, "स्थिर आस्तियाँ" शब्दों के स्थान पर "संपत्ति, संयत्र और उपकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) भाग-II में, भाग-I – तुलन पत्र में,-

(i) शीर्ष "साम्या और दायित्व" के अधीन "व्यवसाय भुगतान" दोनों स्थानों पर जहां-जहां ये शब्द आते हैं, शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"व्यवसाय भुगतान:-

(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि; और

(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों की कुल बकाया राशि।";

(ii) शीर्ष "साम्या में परिवर्तन का विवरण" के अधीन, उपशीर्ष "ख. अन्य साम्या" के अधीन,-

(क) "प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित" शब्दों के स्थान पर, "प्रतिभूति प्रीमियम" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "टिप्पण" को इसके खंड (i) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार से पुन: संख्यांकित किए गए खंड (i) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(ii) साम्या के भीतर प्रत्येक आरक्षिती के प्रयोजनों का विस्तृत विवरण टिप्पण में प्रकट किया जाएगा।";

(iii) शीर्ष "तुलन पत्र तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश" के अधीन, "टिप्पण" में,-

(क) पैरा 6 में,-

(I) शीर्ष "क. गैर-चालू आस्तियाँ" के अधीन,-

(i) उप शीर्ष "VII. व्यवसाय प्राप्तियां" के अधीन, मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) व्यवसाय प्राप्तियों को इस प्रकार उप वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) अच्छे माने जाने वाले व्यवसाय प्राप्तियां – प्रतिभूत;

(ख) अच्छे माने जाने वाले व्यवसाय प्राप्तियां – अप्रतिभूत;

(ग) व्यवसाय प्राप्तियां जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है; और

(घ) व्यवसाय प्राप्तियां – दुर्बल ऋण,";

(ii) उप शीर्ष "VIII. ऋण" के अधीन, मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) उधार को इस प्रकार उप वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) अच्छे माने जाने वाले व्यवसाय प्राप्तियां – प्रतिभूत;

(ख) अच्छे माने जाने वाले व्यवसाय प्राप्तियां – अप्रतिभूत;

(ग) व्यवसाय प्राप्तियां जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है; और

(घ) व्यवसाय प्राप्तियां – दुर्बल ऋण,";

(II) शीर्ष "ख. चालू आस्तियां" के अधीन:

(i) उप शीर्ष "III व्यवसाय प्राप्तियां" के अधीन, मद (i) के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) व्यवसाय प्राप्तियां को इस प्रकार उप वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) अच्छे माने जाने वाले व्यवसाय प्राप्तियां – प्रतिभूत;

(ख) अच्छे माने जाने वाले व्यवसाय प्राप्तियां – अप्रतिभूत;

(ग) व्यवसाय प्राप्तियां जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है; और

(घ) व्यवसाय प्राप्तियां – दुर्बल ऋण,";

(ii) उप शीर्ष "V. ऋण" के अधीन, मद (ii) के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) उधार को इस प्रकार उप वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) अच्छे माने जाने वाले व्यवसाय प्राप्तियां – प्रतिभूत;

(ख) अच्छे माने जाने वाले व्यवसाय प्राप्तियां – अप्रतिभूत;

(ग) व्यवसाय प्राप्तियां जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है; और

(घ) व्यवसाय प्राप्तियां – दुर्बल ऋण,";

(III) शीर्ष "च. चालू दायित्व" और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"चक. व्यवसाय देय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित निम्नलिखित ब्यौरे टिप्पणों में दर्शाए जाएगें:-

(क) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी सप्लायर को अदत्त शेष मूल राशि और उसपर देय ब्याज (अलग-अलग दर्शाया जाएगा);

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 16 के संदर्भ में क्रेता द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि और प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के पश्चात सप्लायर को किए गए भुगतान की राशि;

(ग) भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और बकाया ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है परंतु वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद) परंतु इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन निर्धारित ब्याज नहीं जोड़ा जाएगा;

(घ) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में प्रोदभूत और अदत्त न किए गए शेष ब्याज की राशि; और

(ङ) उत्तरवर्ती वर्षों में भी शेष शोध्य और संदेय आतिरिक्त ब्याज की रकम ऐसी तारीख तक जब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए उपरोक्त ब्याज शोध्य वास्तविक रूप से लघु उद्यम को संदत्त नहीं किए जाते हैं।

स्पष्टीकरण.- 'नियत दिन' 'क्रेता' 'उद्यम' 'सूक्ष्म उद्यम' 'छोटे उद्यम' और 'पूर्तिकर्ता' के वही अर्थ होंगे जो उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 में क्रमश: खंड (ख), (घ), (ड.), (ज), (ड) और (ढ़) में दिए गए हैं।"।

(ख) पैरा 9 में, "उदाहरण के लिए" शब्दों के बाद, "प्लेन वनीला" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) भाग-II और इसके संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित जाएगा, अर्थात्:-

"भाग-III

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के लिए वित्तीय कथन जिसके वित्तीय कथन कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) जिसके द्वारा भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) का अनुपालन करना अपेक्षित है, के वित्तीय कथन तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश

1. कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 में यथापरिभाषित प्रत्येक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी जिसके लिए भारतीय लेखांकन मानक लागू होते हैं, अपने वित्तीय कथन इस अनुसूची या ऐसे संशोधनों के साथ तैयार करेगी जैसा कि कतिपय परिस्थितियों में अपेक्षित किया जाए।

2. जहां गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को यथा लागू भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) (सुसंगत इंडएएस द्वारा यथा-उपबंधित चालू गैर-चालू वर्गीकरण के अनुसार आस्तियों और दायित्वों के प्रस्तुत करने के विकल्प के सिवाय) सहित समय-समय पर सुसंगत विनियामक द्वारा जारी सुसंगत अधिनियम विनियम मार्गदर्शी सिद्धांत या परिषदों की अपेक्षाओं का अनुपालन में वित्तीय शीर्ष या उपशीर्ष में परिवर्धन, संशोधन, प्रतिस्थापन या लोप या वित्तीय विवरणों या उसके भाग रूप होने वाले विवरणों में परस्पर किसी परिवर्तन सहित उपचार या प्रकटन में कोई परिवर्तन अपेक्षित होता है तो उसे किया जाएगा और इस अनुसूची के अधीन अपेक्षाएं तदनुसार उपांतरित हो जाएगी।

3. इस अनुसूची में निर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाएं भारतीय लेखांकन मानकों में निर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओं को प्रतिस्थापित करने हुए नहीं बल्कि उनके अतिरिक्त हैं। भारतीय लेखांकन मानकों में निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रकटीकरण टिप्पण में या अतिरिक्थ कथन या कथनों के रूप में किए जाएंगे जब तक कि इन्हें वित्तीय कथनों में प्रकट करना अपेक्षित न हो। इसी प्रकार कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा यथाअपेक्षित अन्य सभी प्रकटीकरण इस अनुसूची में निर्धारित अपेक्षाओं के साथ-साथ टिप्पण में किए जाएंगे।

4. (i) वित्तीय कथनों में दी गई सूचना के अतिरिक्त टिप्पण में निम्नलिखित सूचना दी जाएगी और जहां कहीं अपेक्षित हो प्रावधान होगा –

(क) इन कथनों में शामिल किए गए मदों के वर्णानात्मक विवरण या विभाजन; और

(ख) ऐसी मदों से संबंधित सूचना जिन्हें इन कथनों में मान्य करने के लिए पात्र नहीं माना गया।

(ii) तुलनपत्र, साम्या में परिवर्तन संबंधी विवरण और लाभ-हानि संबंधी विवरण में उल्लिखित प्रत्येक मद को नोट में दिए गए संबंधित सूचनाओं के साथ प्रति निर्देश किया जाएगा। नोट सहित वित्तीय विवरण तैयार करने के समय, वित्तीय कथनों का उपयोग करने वालों के लिए सहायक न होने वाली अत्याधिक विवरण और एकत्रीकरण के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सूचना न देने के बीच में सामंजस्य रखा जाएगा।

5. एनबीएफसी की कुल आय के आधार पर, वित्तीय कथनों में दर्शाए गए आंकड़ों को निम्नानुसार पूर्णांक किया जाएगा –

कुल आय	पूर्णांकित करना
(i) सौ करोड़ रुपए से कम	उसके निकटतम सौ, हजार, लाख, या मिलियन, या दशमलव से
(ii) एक सौ करोड़ रुपए या अधिक	उसके निकटतम लाख, मिलियन, या करोड़ या दशमलव से

किसी समय प्रयोग की गई माप की ईकाई, उसे वित्तीय कथनों में समान रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए।

6. वित्तीय कथनों में तत्काल पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधि के लिए वित्तीय कथनों में दर्शाए गए सभी मद जिसमें निगमन के पश्चात् प्रथम वित्तीय विवरण मामले के अलावा सभी नोट शामिल हैं के लिए संबंधित (तुलनात्मक) राशि रखी जाएगी।

7. वित्तीय कथनों में सभी "भौतिक" मदों अर्थात् ऐसे मद जो एकल रूप से या समेकित रूप से आर्थिक निर्णयों जो प्रयोगकर्ता द्वारा वित्तीय कथनों के आधार पर किया जाता है, को प्रभावित करते हैं, का प्रकटीकरण किया जाएगा। भौतिकता इसी मद के आकार या प्रकृति दोनों के संयोजन पर निर्भर करती है जिसे किसी विशेष परिस्थिति में परखा जाता है।

8. इस अनुसूची के उद्देश्य के लिए, इसमें प्रयोग किए गए प्रत्येक पद का अर्थ वही होगा जो भारतीय लेखांकन मानक में नियत किए गए हैं।

9. यदि सुसंगत नियामकों द्वारा समय-समय पर जारी अधिनियम, विनियम, दिशानिर्देश या परिपत्र में किसी एनबीएफसी के एकमात्र वित्तीय विवरण में निर्दिष्ट प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है, तो उक्त प्रकटीकरणों को अनुसूची के अधीन अपेक्षित प्रकटीकरण के अलावा किया जाए।

10. इस अनुसूची के अनुसार एनबीएफसी द्वारा तैयार किए जाने वाले वित्तीय विवरण में, यदि एनबीएफसी द्वारा किया गया कार्य उचित समझा गया हो तो, मद प्रस्तुति के क्रम में या समापन के क्रम में अनुसूचियों में दिए गए मदों के क्रम में बदलाव हो सकता है।

टिप्पण: यह अनुसूची वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं नियत करता है अर्थात्, तुलनपत्र, उक्त अवधि के लिए साम्या में बदलाव संबंधी विवरण, उक्त अवधि के लिए लाभ-हानि संबंधी विवरण ('लाभ-हानि संबंधी विवरण' पद का अर्थ वही होगा जो 'लाभ-हानि खाते का अर्थ है') और नोट। संबंधित भारतीय लेखांकन मानक की अपेक्षाओं के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण, जहां प्रयोज्य हो, तैयार किया जाएगा।

मद, उपमद और शीर्ष मद को वित्तीय विवरण में अतिरिक्त या प्रतिस्थापन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा यदि ऐसा प्रस्तुतिकरण एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति या दक्षता के लिए संगत हो या एनबीएफसी की कोटियों जो संगत नियामक द्वारा विहित की गई हैं या क्षेत्र विशिष्ट की प्रकटन आवश्यकताओं को पूरा करती हैं या जब संगत विधान में सशोधन की अनुपालना के लिए या भारतीय लेखांकन मानकों के लिए अपेक्षित है।

भाग I – तुलन पत्र

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी का नाम .....
तुलन पत्र ..... की स्थिति के अनुसार

(..... रुपये में)

	विवरण	**टिप्पण संख्या**	**वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत तक आंकड़े**	**पूर्व रिपोर्टाधीन अवधि तक आंकड़े**
	1		2	3
	आस्तियां			
(1)	**वित्तीय आस्तियां**			
(क)	नकद और नकद समकक्ष			
(ख)	उपर्युक्त (क) के अलावा बैंक शेष			
(ग)	अन्य स्रोत से प्राप्त वित्तीय उपकरण			

(घ)	प्राप्य			
	(I) व्यापार प्राप्य			
	(II) अन्य प्राप्य			
(ङ)	ऋण			
(च)	विनिधान			
(छ)	अन्य वित्तीय आस्तियां (निर्दिष्ट किया जाना है)			
(2)	**गैर-वित्तीय आस्तियां**			
(क)	माल सूची			
(ख)	चालू कर आस्तियां (निवल)			
(ग)	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)			
(घ)	विनिधान संपत्ति			
(ङ)	वाहक प्लांट के अलावा अन्य जैविक आस्तियां			
(च)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण			
(छ)	पूंजीगत कार्य में प्रगति			
(ज)	विकासशील अमूर्त आस्तियां			
(झ)	गुडविल			
(ञ)	अन्य अमूर्त आस्तियां			
(ट)	अन्य गैर-वित्तीय आस्तियां (निर्दिष्ट किया जाना है)			
	कुल आस्तियां			
	दायित्व और साम्या			
	दायित्व			
(1)	**वित्तीय दायित्व**			
(क)	दूसरे स्रोतों से प्राप्त वित्तीय लिखत			
(ख)	भुगतान			
	(I) व्यवसाय देय			
	(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय			
	(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया देय			
	(II) अन्य देय			
	(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय			
	(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया देय			
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां			
(घ)	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)			
(ङ)	जमा			
(च)	अनुषंगी दायित्व			
(छ)	अन्य वित्तीय दायित्व (निर्दिष्ट किया जाना है)			
2.	गैर वित्तीय दायित्व			
(क)	वर्तमान कर दायित्व (निवल)			
(ख)	उपबंध			
(ग)	आस्थगित कर दायित्व (निवल)			
(घ)	अन्य गैर वित्तीय दायित्व (निर्दिष्ट किया जाना है)			
3.	साम्या			
(क)	साम्या शेयर पूंजी			
(ख)	अन्य साम्या			
	कुल दायित्व और साम्या			

वित्तीय विवरण के संलग्न टिप्पण देखें।

साम्या में परिवर्तन का विवरण

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी का नाम .....

..... को समाप्त अवधि के लिए साम्या में परिवर्तन का विवरण

(रू. में .....)

क. साम्या शेयरपूंजी

रिपोर्टाधीन अवधि के प्रारंभ में बकाया शेष	वर्ष के दौरान साम्या शेयरपूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टाधीन अवधि के अंत तक बकाया शेष
xxx	xxx	xxx

ख. अन्य साम्या

	आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	मिश्रित वित्तीय लिखत की वित्तीय इकाई	कानूनी आरक्षितियां	पूंजी आरक्षिति	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य आरक्षिति (प्रकार का उल्लेख करें)	प्रतिधारण आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण उपकरण	अन्य व्यापक आय के माध्यम से साम्या उपकरण	नकदी कैशफ्लो सीमा का प्रभावी भाग	पुनः मूल्यांकन अधिव्यय	किसी विदेशी कंपनी के वित्तीय विवरण का अनुवाद करने पर मुद्रा अंतर	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (इस प्रकार का उल्लेख करें)	शेयर वारंट के संबंध में प्राप्त धनराशि	योग
रिपोर्टाधीन अवधि के प्रारंभ में बकाया शेष															
लेखांकन नीति में परिवर्तन अवधि के पहले की त्रुटियां															
रिपोर्टाधीन अवधि के प्रारंभ में पुनः उल्लिखित बकाया शेष															
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय															
लाभांश															
प्रतिधारण आय में अंतरण															
अन्य कोई परिवर्तन (उल्लेख करें)															
रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में बकाया शेष															

टिप्पण:

(i) लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय दायित्वों के अपने ऋण जोखिम से संबंधित निर्धारित लाभ योजनाओं और उचित मूल्य परिवर्तनों के पुनः मापन को प्रतिधारण आय का ही एक भाग माना जाएगा और टिप्पणियों में संबंधित धनराशि के साथ ऐसी मदों के लिए अलग से प्रकटीकरण किया जाएगा।

(ii) साम्या के साथ प्रत्येक आरक्षित के उद्देश्य की व्याख्या का प्रकटीकरण टिप्पण में किया जाएगा।

टिप्पण:

तुलन-पत्र तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी अपने लेखा टिप्पण में निम्नलिखित प्रकटीकरण करेगी।

(क) नकद और नकद समकक्ष: नकद और नकद समकक्ष को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा

(i) हाथ नकद

(ii) बैंकों में शेष (नकद और नकद समकक्ष की प्रकृति)

(iii) हाथ चैक, ड्राफ्ट; और

(iv) अन्य (प्रकृति उल्लेखित निर्दिष्ट करें)

नकद और बैंक शेष : नकद और बैंक शेष संबंधी निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएंगे

(i) बैंकों में रखे चिन्हित शेष (उदाहरणार्थ, अदत्त लाभांश के लिए) का उल्लेख पृथक रूप से किया जाएगा।

(ii) न्यूनतम राशि या उधार, गारंटी, अन्य प्रतिबद्धताओँ पर दी गई प्रतिभूति की सीमा तक बैंकों में रखे शेष का प्रकटीकरण पृथक रूप से किया जाएगा।

(iii) नकद और बैंक शेषों के संबंध में प्रत्यावर्तन प्रतिबंध, यदि कोई हो का प्रकटीकरण पृथक रूप से किया जाएगा।

(ख) अन्य स्रोतों से प्राप्त वित्तीय लिखत

1. अन्य स्रोतों के प्रयोग की व्याख्या करें।
2. अन्य स्रोतों से होने वाले प्रबंधन जोखिम के लिए वित्तीय जोखिम अनुभाग से पुनः संदर्भ।

भाग 1			(वर्तमान वर्ष)		(पूर्व वर्ष)	
	अनुमानित धनराशि	उचित मूल्य आस्तियां	उचित मूल्य दायित्व	अनुमानित धनराशि	उचित मूल्य आस्तियां	उचित मूल्य दायित्व
(i) अन्य स्रोतों से प्राप्त मुद्राएं						
-स्थान और अग्रेषण						
-आगामी मुद्रा						
-मुद्रा विनिमय						
-क्रय विकल्प						
-विक्रय विकल्प (लिखित)						
-अन्य (i)						
उप-योग (i)						
(ii) अन्य स्रोतों से प्राप्त ब्याज दर						
-अग्रेषण दर समझौता और ब्याज दर विनिमय						
-क्रय विकल्प						
-विक्रय विकल्प (लिखित)						
-आगामी						
-अन्य						
उपयोग (ii)						
(iii) अन्य स्रोत ऋण						
(iv) अन्य स्रोत से संबंधित साम्या						
(v) अन्य स्रोत (कृपया						

उल्लेख करें)						
कुल अन्य स्रोत						
वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)						
भाग II						
उपरोक्त (भाग I) में शामिल अन्य स्रोत को सीमा और जोखिम प्रबंधन उद्देश्य के लिए शामिल किया गया है जो निम्नलिखित है।						
(i) उचित मूल्य सीमा						
-अन्य स्रोत मुद्रा						
-अन्य स्रोत ब्याज दर						
-अन्य स्रोत ऋण						
-अन्य स्रोत से संबंधित साम्या						
-अन्य						
उपयोग (i)						
(ii) नकद प्रवाह सीमा						
-अन्य स्रोत मुद्रा						
-अन्य स्रोत ब्याज दर						
-अन्य स्रोत ऋण						
-अन्य स्रोत से संबंधित साम्या						
-अन्य						
उपयोग (ii)						
(iii) निवल विनिधान सीमा						
(iv) गैर-पदाविहित अन्य स्रोत						
कुल अन्य स्रोत वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)+(iv)						

सीमा और सीमा लेखांकन के संबंध में, एनबीएफसी भारतीय लेखांकन मानक की अपेक्षाओं के अनुसार व्याख्या उपलब्ध करा सकती है कि अन्य स्रोत को सीमा, के लिए कैसे प्रयोग किया जा सकता है, लेखांकन उद्देश्य के लिए चिन्हित सीमाओं के प्रकार और कंपनी द्वारा उसके प्रयोग उपयोजन के विषय में व्याख्या की जा सकती है।

(ग) प्राप्य:

(i) प्राप्य को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है –

(क) सही समझे जाने वाले प्राप्य – प्रतिभूतिकृत;

(ख) सही समझे जाने वाले प्राप्य – गैर-प्रतिभूतिकृत;

(ग) ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण बढोत्तरी करने वाले प्राप्य; और

(घ) प्राप्य – ऋण क्षति

(ii) क्षति हानि के लिए भत्ता का प्रकटीकरण सुसंगत शीर्ष के अधीन पृथक रूप से किया जाएगा।

(iii) एनबीएफसी के निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा देय ऋण या उनमें से किसी एक द्वारा या तो बार-बार या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), निजी कंपनियों सहित अन्य फर्मों द्वारा देय ऋण जिसमें निदेशक या तो भागीदार है या निदेशक या सदस्य है का उल्लेख पृथक रूप से किया जाएगा।

(घ) ऋण

	(वर्तमान वर्ष)						(पूर्व वर्ष)					
	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उपयोग	योग	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उपयोग	योग
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से नामनिर्दिष्ट उचित मूल्य पर				अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से पदाविहित उचित मूल्य		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=8+9+10)	(12=7+11)
ऋण												
(क) क्रय किए गए बिल और वह बिल जिसमें छूट दी गई												
(ii) मांग के आधार पर पुनः देय ऋण												
(iii) अवधि ऋण												
(iv) लिजिंग												
(v) फेक्टर												
(vi) अन्य (उल्लेखित किया जाना है)												
कुल (क) – सकल												
कम-क्षति-हानि भत्ता												
कुल (क) – निवल												
(ख) (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूति												
(ii) अमूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूतिकृत												
(iii) बैंक/सरकारी गारंटी के अधीन												
(iv) अप्रतिभूति												
कुल (ख)-सकल												
कम-क्षति-हानि भत्ता												
कुल (ख)-निवल												
(ग) (I) भारत में ऋण												
(i) सार्वजनिक क्षेत्र												
(ii) अन्य (उल्लेखित किया जाना है)												
कुल (ग)-सकल												
कम-क्षति-हानि भत्ता												
कुल (ग)(I)-निवल												
(ग) (II) भारत के												

बाहर ऋण												
कम-क्षति-हानि भत्ता												
कुल (ग)(II)-निवल												
कुल (ग)(I) और (ग)(II)												

(ङ) विनिधान

विनिधान														
		(वर्तमान वर्ष)							(पूर्व वर्ष)					
	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-योग	अन्य*	योग	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-योग	अन्य	योग
विनिधान		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से नामनिर्दिष्ट उचित मूल्य					अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से पदाविहित उचित मूल्य			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=(2)+(3)+(4)	(6)	(7=(1)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=(9)+(10)+(11)	(13)	(14=(8)+(12)+(13)
म्यूचुअल फंड														
सरकारी प्रतिभूतियां														
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां														
ऋण प्रतिभूतियां														
साम्या लिखत														
अनुषंगियां														
सहयुक्त														
संयुक्त उद्यम														
अन्य (उल्लेखित करें)														
योग-सकल (क)														
(I) भारत के बाहर निवेश														
(II) भारत में निवेश														
योग (ख)														
योग (क) का मिलान (ख) से किया जाएगा														
कम भत्ते के लिए क्षति-हानि भत्ता														
कुल-निवल (घ)= (क) – (ग)														
*माप के अन्य आधार अर्थात् लागत की व्याख्या पादप टिप्पणी के रूप में की जा सकती है।														

(च) विनिमय संपत्ति

रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में संपत्ति के प्रत्येक वर्ग की सकल और शुद्ध ले जाने वाली रकम का एक समझौता व्यापार संयोजनों और अन्य माध्यम से जोड़ निपटान, अधिग्रहण और संबंधित विचलन और हानि या उलटे जाने को अलग से प्रकट किया जाएगा।

(छ) वाहक पौधों के अलावा जैविक संपत्तियां

रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में आस्तियों के प्रत्येक वर्ग का एक समझौता व्यापार संयोजनों और अन्य माध्यम से जोड़ निपटान अधिग्रहण को अलग से प्रकट किया जाएगा।

(ज) संपत्ति संयंत्र और उपकरण

(i) वर्गीकरण के रूप में दिया जाएगा :

(क) भूमि
(ख) भवन
(ग) संयंत्र और उपकरण
(घ) फर्नीचर और स्थावर पदार्थ
(ङ) वाहन
(च) कार्यालय उपकरण
(छ) वाहक संयंत्र
(ज) अन्य (प्रकृति उल्लेख करें)

(ii) पट्टे के अधीन आस्तियों को आस्ति के प्रत्येक वर्ग के अधीन निर्दिष्ट किया जाएगा।

(iii) रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में संपत्ति के प्रत्येक वर्ग की सकल और शुद्ध ले जाने वाली रकम का एक समझौता व्यापार संयोजनों और अन्य माध्यम से जोड़ निपाटन, अधिग्रहण और संबंधित विचलन और हानि या उलटे जाने को अलग से प्रकट किया जाएगा।

(झ) गुडविल

रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में गुडविल के प्रत्येक वर्ग की सकल और शुद्ध ले जाने वाली रकम का एक समझौता जोड़ हानी निपटान और अन्य समायोजनों से प्रकट किया जाएगा।

(ञ) अन्य अमूर्त आस्तियां

(i) वर्गीकरण के रूप में दिया जाएगा :

(क) ब्रांड या ट्रेडमार्क
(ख) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
(ग) मास्ट हेड और प्रकाशन शीर्ष
(घ) खनन अधिकार
(ङ) कापीराइटर, पेटेंट, अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवाएं और प्रचालन अधिकार
(च) रेसिपी, फार्मूला, मॉडल, डिज़ाइन और अन्य प्रोटोटाइप
(छ) अनुज्ञप्ति और फ्रेंचाइज़ी
(ज) अन्य (प्रकृति उल्लेख करें)

(ii) रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में संपत्ति के प्रत्येक वर्ग की सकल और शुद्ध ले जाने वाली रकम का एक समझौता व्यापार संयोजनों और अन्य संयोजन में जोड़ निपटान अधिग्रहण और अन्य संबंधित ऋणमुक्ति और क्षति नुकसान या रिवर्सल को अलग से प्रकट किया जाएगा।

(ट) देय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों से संबंधित निम्नलिखित विवरणों को प्रकट किया जाएगा।

(क) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को बिना भुगतान किए बकाया मूलधन और ब्याज (पृथक रूप से दर्शाया जाए);

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के निबंधनों में खरीदार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि, प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत दिन से अधिक आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ;

(ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि और भुगतान (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़ने के बिना;

(घ) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में भुगतान न की गई बकाया राशि, और अर्जित ब्याज की राशि; और

(ङ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य व्यय को अस्वीकार करने के उद्देश्य से, अतिरिक्त ब्याज की राशि जो अनुवर्ती वर्षों में उस तारीख जब लघु उद्यम को वास्तव में उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान किया जाएगा, तक बकाया और देय होगी।

स्पष्टीकरण: निबंधन 'नियत दिन', 'क्रेता', 'उद्यम', 'सूक्ष्म उद्यम', 'लघु उद्यम' और 'आपूर्तिकर्ता' के वह अर्थ होंगे जो उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ख), (घ), (ज), (ङ), (ड) और (ढ) के अधीन क्रमशः दिए गए हैं।

(ठ) ऋण प्रतिभूतियां

	(चालू वर्ष)				**(पूर्व वर्ष)**			
	परिशोधित लागत पर	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर**	**लाभ या हानि के माध्यम से ऊचित मूल्य पर नामनिर्दिष्ट**	**योग**	**परिशोधित लागत पर**	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर**	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामनिर्दिष्ट**	**योग**
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)
मिश्रित वित्तीय साधन के दायित्व घटक								
अन्य (बान्ड) डिबेंचर इत्यादि								
योग (क)								
भारत में ऋण प्रतिभूतियां								
भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियां								
(क) के साथ मिलान करने के लिए योग (ख)								

(i) बांड या डिबेंचर (ब्याज दर के साथ, और मोचन या परिवर्तन जैसा भी मामला हो) को परिपक्वता या परिवर्तन के उतरते हुए क्रम में दर्शाया जाए, जो सबसे पुराना मोचन या परिवर्तन तिथि से जैसा भी मामला हो शुरु हो। जहां बांड या डिबेंचर किश्तों में प्रतिदेय हो, इस उद्देश्य हेतु परिपक्वता तारीख को वह तारीख माना जाए जिस पर प्रथम किश्त देय हो जाती है;

(ii) किसी बांड या डिबेंचरों के मोचन का विवरण जिसमें एनबीएफसी को वापस जारी करने की शक्ति है, का प्रकटन किया जाएगा।

(ड) उधारी (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

	(चालू वर्ष)				**(पूर्व वर्ष)**			
	परिशोधित लागत पर	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर**	**लाभ या हानि के माध्यम से ऊचित मूल्य पर नामित**	**कुल**	**परिशोधित लागत पर**	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर**	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित**	**कुल**
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
(क) अवधि ऋण								
(i) बैंकों से								
(ii) अन्य पक्षकारों से								
(ख) स्थगित भुगतान देयता								
(ग) संबंधित पक्षकारों से ऋण								
(घ) वित्त पट्टा दायित्व								

(ङ) मिश्रित वित्तीय लिखतों के दायित्व संघटक								
(च) मांग पर पुनर्भुगतान ऋण								
(i) बैंकों से								
(ii) अन्य पक्षकारों से								
(छ) अन्य ऋण (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)								
योग (क)								
भारत में उधार								
भारत से बाहर उधार								
(क) के साथ मिलाकर कुल (ख)								

(i) उधारी को सुरक्षित और असुरक्षित के रूप में और उपवर्गीकृत किया जाएगा। प्रत्येक मामले में प्रतिभूति की प्रकृति को विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ii) जहां उधारियों को निदेशकों या अन्यों द्वारा प्रत्याभूत किया गया है ऐसी उधारियों की सकल राशि को प्रत्येक शीर्ष में प्रकट किया जाएगा;

(iii) अवधि ऋणों और अन्य ऋणों की शर्तों को बताया जाएगा और

(iv) उधार और ब्याज के पुनर्भुगतान में बैलेंस शीट तिथि के आधार पर चूक और अवधि की राशि अलग-अलग प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट की जाएगी।

(ढ) जमाएं

	(चालू वर्ष)				**(पूर्व वर्ष)**			
	परिशोधित लागत पर	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर**	**लाभ या हानि के माध्यम से ऊचित मूल्य पर नामित**	**कुल**	**परिशोधित लागत पर**	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर**	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित**	**कुल**
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)
जमाएं								
(i) सार्वजनिक जमाएं								
(ii) बैंको से								
(ख) अन्यों से								
योग								

(ण) अधीनस्थ दायित्व

	(चालू वर्ष)				**(पूर्व वर्ष)**			
	परिशोधित लागत पर	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर**	**लाभ या हानि के माध्यम से ऊचित मूल्य पर नामित**	**कुल**	**परिशोधित लागत पर**	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर**	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित**	**कुल**
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)
उस सीमा तक सतत् ऋण लिखत जो इक्विटी के रूप में योग्य नहीं है								
योग्यता इक्विटी के अलावा अधिमान शेयर								
अन्य (जारी लिखत की प्रकृति एवं प्रकार विनिर्दिष्ट करें								
योग क								
भारत में अधीनस्थ दायित्व								
भारत के बाहर अधीनस्थ दायित्व								
(क) के साथ मिलकर कुल (ख)								

(त) अन्य वित्तीय दायित्व (विनिर्दिष्ट किया जाए) : अन्य वित्तीय दायित्वों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :

(क) उपार्जित ब्याज;
(ख) अदत्त लाभांश
(ग) प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए प्राप्त धनराशि उस सीमा तक वापसी योग और उस पर अर्जित ब्याज
(घ) अदत्त परिपक्व जमाएं और उस पर अर्जित ब्याज
(ङ) अदत्त परिपक्व डिबेंचर और उस पर अर्जित ब्याज
(च) मार्जिन मनी (विनिर्दिष्ट किया जाए) ; और
(छ) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(थ) उपबंध : राशि को, के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा

(क) कर्मचारी हितों के लिए प्रावधान; और
(ख) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(द) अन्य गैर-वित्तीय दायित्व (विनिर्दिष्ट किया जाए)

(क) अग्रिम में प्राप्त हुआ राजस्व;
(ख) अन्य अग्रिम (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें); और
(ग) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(ध) साम्या शेयर पूंजी : साम्या शेयरपूंजी के प्रत्येक वर्ग के लिए

(क) प्राधिकृत शेयरों की संख्या और राशि;
(ख) जारी, अभिदत्त और पूर्णरूप से चुकता तथा अभिदत्त परंतु पूर्णरूप से नहीं चुकता शेयरों की संख्या;
(ग) प्रति शेयर का अंकित मूल्य;
(घ) इस अवधि के प्रारंभ में और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का एक समाधान;
(ङ) लाभांशों के वितरण और पूंजी के पुनः भुगतान पर नियंत्रण सहित शेयरों की प्रत्येक श्रेणी से संबंधित अधिकार, अधिमान और नियंत्रण;
(च) निजी कंपनी द्वारा या मुख्य नियंत्री कंपनी द्वारा नियंत्री कंपनी में प्रत्येक वर्ग के शेयर जिसमें समग्र रूप से नियंत्री कंपन के समनुषंगी या सहायक या मुख्य नियंत्री कंपनी के शेयर शामिल हैं;
(छ) कंपनी में पांच प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयर धारकों के शेयरों की संख्या विनिर्दिष्ट करना;
(ज) विकल्प और संविदा अथवा शेयरों की बिक्री की प्रतिबद्धता अथवा विविनिधान के तहत जारी करने के लिए आरक्षित शेयर, जिसमें शर्तें एवं राशि सम्मिलित है।
(झ) तुलनपत्र तैयार होने की तारीख से तुरंत पूर्व की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए:

- संविदा के अनुसार बिना नकद भुगतान के पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों के रूप में आबंटित शेयरों की समग्र संख्या और वर्ग;
- बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयर के रूप में आबंटित शेयरों की समग्र संख्या और वर्ग; और
- वापस लाए शेयरों की कुल संख्या और वर्ग

(ञ) अवरोही क्रम में सबसे पुरानी तारीख से निकटतम तारीख सहित जारी की गई, किसी प्रतिभूति की अवधि जिसे साम्या शेयर में रूपांतरित किया जा सके।
(ट) अदत्त कॉल (निदेशकों और अधिकारियों द्वारा अदत्त कॉल के कुल मूल्य दर्शाया गया है)
(ठ) समपहृत शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि)

(न) अन्य साम्या

(i) टिप्पण में 'अन्य आरक्षित' को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) पूंजी प्रतिदान आरक्षित;
(ख) डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित;
(ग) शेयर विकल्प बकाया खाता;
(घ) सांविधिक आरक्षित; और
(ङ) अन्य (प्रत्येक आरक्षित की प्रकृति और उद्देश्य निर्दिष्ट करें।
(अंतिम तुलनपत्र में प्रत्येक परिवर्धन और कटौती को प्रत्येक विनिर्दिष्ट शीर्ष के तहत दर्शाया जाना है)

(ii) प्रतिधारित आय अधिक्य दर्शाता है अर्थात् साम्या में बदलाव के विवरण में सुसंगत कॉलम का अधिक्य;

(iii) विशेष रूप से निर्धारित विनिधान का प्रतिनिधित्व करने वाले आरक्षित में इसके प्रतिनिधित्व का कारण बताया जाएगा;

(iv) लाभ एवं हानि के विवरण में नामे शेष को 'प्रतिधारित आय' शीर्ष के तहत नकारात्मक आंकड़ें के रूप में दर्शाया जाएगा। उसी प्रकार प्रतिधारित आय के ऋण शेष को समायोजित करने के पश्चात् "अन्य साम्या' के अधिक्य, यदि कोई हो, को "अन्य साम्या" शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा, भले ही इसका परिणाम आंकड़ा नकारात्मक हो।

(v) 'अन्य साम्या' उपशीर्ष के तहत, प्रत्येक मदों की प्रकृति और राशि का प्रकटीकरण किया जाएगा: और

(vi) उपशीर्षक अन्य साम्या के अंतर्गत प्रकटन सांविधिक आरक्षित से जुड़ी हुई दशाओं और प्रतिबंधों के लिए किया जाएगा।

(प) आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धता (उपबंध न किए जाने की सीमा तक)

(i) आकस्मिक दायित्वों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा;

(क) ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए कंपनी के विरूद्ध दावें।
(ख) वित्तीय गारंटी रहित अन्य गारंटी; और
(ग) अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है।

(ii) प्रतिबद्धताओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :

(क) पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने से शेष और उपबंध नहीं की गई संविदाओं की प्राक्कलित रकम;
(ख) शेयरों और अन्य भागत संदत्त विनिधानों पर अनाहूत दायित्व;
(ग) अन्य प्रतिबद्धताएं (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(फ) इस अवधि के लिए साम्या और अधिमानी शेयरधारकों को वितरित की जाने वाली प्रस्तावित लाभांश की राशि और प्रति शेयर संबंधित राशि को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा। अधिमानी शेयरों पर स्थिर संचयी लाभांशों की बकाया राशि को भी पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

(ब) यदि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए तैयार की गई प्रतिभूतियों को जारी करते समय यह पाया गया कि तुलनपत्र की तारीख तक उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए संपूर्ण राशि या उसका एक हिस्सा प्रयोग में नहीं लाया गया है तो टिप्पणी के माध्यम से यह सूचित किया जाएगा कि उस अप्रयुक्त राशि को कैसे प्रयोग में लाया गया था या उसका विनिधान कैसे किया गया।

(भ) अन्य वर्गीकरण संबंधित सामान्य निर्देश

1. यदि कोई एनबीएफसी अनुदर्शीता से लेखांकन नीति लागू करता है या वित्तीय विवरण के मदों का पुनःवितरण तैयार करता है या जब वह एनबीएफसी अपने वित्तीय विवरण में मदों को पुन वर्गीकृत करता है तो एनबीएफसी अपने तुलनपत्र में प्रस्तुत की गई सबसे पहली तुलनात्मक अवधि की शुरूआत का 'तुलनपत्र' संलग्न करेगा।
2. आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि को सुसंगत भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार साम्या या दायित्व में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसी शेयर आवेद राशि जिसकी वापसी नहीं की जा सकती को साम्या शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा और ऐसी शेयर आवेदन राशि जिसकी वापसी की जा सकती है को 'अन्य वित्तीय दायित्व' के तहत दर्शाया जाएगा।
3. अधिमान शेयर, जिसमें जारी होने पर प्राप्त प्रीमियम को सुसंगत भारतीय लेखांकन मानक की आवश्यकताओं को अनुसार साम्या या दायित्व के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तद्नुसार सुसंगत साम्या या दायित्व के वर्ग पर लागू होने संबंधी प्रकटीकरण और आवश्यक प्रस्तुतीकरण को आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिमान शेयरों पर लागू किया जाएगा।

   उदाहरणार्थ, प्रतिदेय अधिमान शेयरों को 'उधार राशि' के रूप में 'गैर चालू दायित्व' के तहत वर्गीकृत और प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसी उधार राशियों पर लागू होने वाली प्रकटीकरण आवश्यकताओं को आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रतिदेय अधिमान शेयरों पर लागू किया जाएगा।
4. संयुक्त वित्तीय लिखते जैसे परिवर्तनीय डिबेंचर जिसे सुसंगत भारतीय लेखांकन मानक की आवश्यकताओं के अनुसार साम्य और दायित्व घटक में विभाजित किया गया है, को संबंधित 'साम्या' और "दायित्व' शीर्ष के तहत वर्गीकृत और प्रस्तुत किया जाएगा।
5. नियामक आस्थगित खाता शेष को संगत भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तुलनपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

भाग II – लाभ और हानि का विवरण

गैर-बैंककारी कंपनी का नाम .....
..... की अवधि के दौरान लाभ और हानि का विवरण

(रुपए में .....)

	ब्यौरे	**टिप्पणी संख्या**	**चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े**	**पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े**
	प्रचालन से प्राप्त राजस्व			
(i)	ब्याज आय			
(ii)	लाभांश आय			
(iii)	किराया से अर्जित आय			
(iv)	शुल्क एवं कमिश्र से प्राप्त आय			
(v)	उचित मूल्य परिवर्तन संबंधी निवल लाभ			
(vi)	परिशोधित लागत वर्ग के अधीन वित्तीय उपकरणों की गैर-मान्यता पर निवल लाभ			
(vii)	उत्पादों की बिक्री (सीमा शुल्क सहित)			
(viii)	सेवाओं की बिक्री			
(ix)	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)			
(I)	प्रचालन से प्राप्त कुल राजस्व			
(II)	अन्य आय (विनिर्दिष्ट किया जाना है)			
(III)	कुल आय (I+II)			
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागत			
(ii)	शुल्क एवं कमिश्र व्यय			
(iii)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि			
(iv)	परिशोधित लागत वर्ग के अधीन वित्तीय उपकरणों की गैर-मान्यता पर निवल हानि			
(v)	वित्तीय उपकरणों पर क्षति			
(vi)	प्रयोग की गई सामग्री की लागत			
(vii)	व्यापार स्टॉक की खरीद			
(viii)	तैयार माल, व्यापार स्टॉक और प्रगतिशील माल की सूची में परिवर्तन			
(ix)	कर्मचारी हित संबंधी व्यय			
(x)	अवमूल्यन, परिशोधन एवं क्षति			
(xi)	अन्य व्यय (निर्दिष्ट किया जाना है)			
(IV)	कुल व्यय (IV)			
(V)	असाधारण मदों और कर (III-IV) के पूर्व हुए लाभ/हानि			

(VI)	असाधारण मदें			
(VII)	कर (V-VI) के पूर्व लाभ/(हानि)			
(VIII)	कर व्यय (1) विद्यमान कर (2) आस्थगित कर			
(IX)	सतत् प्रचालन (VII-VIII) से अवधि के लिए लाभ/(हानि)			
(X)	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)			
(XI)	बंद प्रचालनों के कर व्यय			
(XII)	बंद प्रचालनों (कर के पश्चात्) (X-XI) से लाभ/(हानि)			
(XIII)	**इस अवधि (IX+XII) के लिए लाभ/(हानि)**			
(XIV)	अन्य व्यापक आय			
	(क) (i) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (मदें और राशि विनिर्दिष्ट करें)			
	(ii) ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।			
	उपशीर्ष (क)			
	(ख) (i) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (मदें और राशि विनिर्दिष्ट करें)			
	(ii) ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।			
	उपशीर्ष (ख)			
	अन्य समग्र आय (क) + (ख)			
(XV)	**इस अवधि (XIII+XIV) (जिसमें लाभ(हानि) और इस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय शामिल है) के लिए कुल व्यापक आय**			
(XVI)	**प्रति साम्या शेयर आय (सतत् प्रचालन के लिए) मूल (रुपए) मिश्रित (रुपए)**			
(XVII)	**प्रति साम्या शेयर आय (बंद प्रचालन के लिए) मूल (रुपए) मिश्रित (रुपए)**			
(XVIII)	**प्रति साम्या शेयर आय (सतत् और बंद प्रचालन के लिए) मूल (रुपए) मिश्रित (रुपए)**			

टिप्पण:

लाभ-हानि विवरण तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश

1. इस भाग के प्रावधान आय एवं व्यय खातों में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वह लाभ और हानि विवरण पर लागू होते हैं।
2. लाभ और हानि विवरण में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:
   (क) इस अवधि के लिए लाभ या हानि;
   (ख) इस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय।
   उपरोक्त (क) और (ख) का योग ही 'कुल व्यापक आय' है।

3. ब्याज से प्राप्त आय

विशिष्टियां	**(वर्तमान वर्ष)**			**(पूर्व वर्ष)**		
	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के आधार पर वित्तीय आस्तियां	परिशोधित लागत के आधार पर मापे गए वित्तीय आस्तियां	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत वित्तीय आस्तियों पर वित्तीय आस्तियों संबंधी आय पर ब्याज	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के आधार पर वित्तीय आस्तियां	परिशोधित लागत के आधार पर मापे गए वित्तीय आस्तियां	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत वित्तीय आस्तियों पर वित्तीय आस्तियों संबंधी आय पर ब्याज
ऋण पर ब्याज						
निवेश से प्राप्त आय पर ब्याज						
बैंकों में किए गए						

जमा से प्राप्त ब्याज						
अन्य आय से प्राप्त ब्याज						
कुल						

4. उचित मूल्य परिवर्तन संबंधी निवल लाभ/(हानि)*

विशिष्टियां	(वर्तमान वर्ष)	(पूर्व वर्ष)
(क) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के वित्तीय उपकरणों पर निवल लाभ/(हानि)		
(i) व्यापार पोर्टफोलियों पर		
- निवेश		
- अन्य स्रोतों से प्राप्त आय		
- अन्य		
(ii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य में पदाभिहित वित्तीय उपकरणों पर		
(ख) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)		
उचित मूल्य परिवर्तन (ग) कुल निवल लाभ/(हानि)		
उचित मूल्य परिवर्तन - प्राप्त - अप्राप्त		
उचित मूल्य परिवर्तन (घ) पर कुल निवल लाभ/(हानि) की तुलना (ग) से		

*इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन, आय/व्यय से अर्जित ब्याज के कारण मिलने वाली राशि के अलावा अन्य राशि है।

5. अन्य आय

विशिष्टियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
हेज के अप्रभावित भाग पर निवल लाभ/(हानि)		
संपत्ति, प्लांट और उपकरण की गैर मान्यता पर निवल लाभ/(हानि)		
विदेशी मुद्रा संव्यवहार और परिवर्तन (वित्तीय लागत के रूप में विचार किए जाने के अलावा) (विनिर्दिष्ट किया जाना है) पर लाभ और हानि		
अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)*		
कुल		

***कोई उपशीर्ष 'अन्य' के अधीन किसी मद जो कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक को पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।**

6. वित्तीय लागत

विशिष्टियां	(वर्तमान वर्ष)		(पूर्व वर्ष)	
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय देयताओं पर	परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय देयताओं पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय देयताओं पर	परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय देयताओं पर
जमा पर अर्जित ब्याज				
उधार पर अर्जित ब्याज				
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज				
अधीनस्थ देयताओं पर अर्जित ब्याज				
अन्य व्ययों पर अर्जित ब्याज				
कुल				

7. कर्मचारी हित व्यय

विशिष्टियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
वेतन एवं मजदूरी		
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		
कर्मचारियों को शेयर आधारित भुगतान		
कर्मचारी कल्याण व्यय		
अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)		
कुल		

8. वित्तीय उपकरणों पर क्षति

विशिष्टियां	(वर्तमान वर्ष)		(पूर्व वर्ष)	
	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय उपकरण	परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय उपकरण पर	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय उपकरण	परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय उपकरण पर
ऋण				
निवेश				
अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)				
कुल				

9. अन्य व्यय (विनिर्दिष्ट किया जाना है)

विशिष्टियां	(वर्तमान वर्ष)	(पूर्व वर्ष)
किराया, कर और ऊर्जा लागत		
मरम्मत एवं रखरखाव		
संचार लागत		
मुद्रण और स्टेशनरी		
विज्ञापन और प्रचार		
निदेशक शुल्क, भत्ता और व्यय		
लेखापरीक्षक शुल्क और व्यय		
कानूनी एवं व्यवसायिक प्रभार		
बीमा		
अन्य व्यय*		
कुल		

***कोई उपशीर्ष 'अन्य' के अधीन किसी मद जो कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक को पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।**

10. अन्य व्यापक आय को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा –

(क) मदें जो लाभ या हानि के रूप में पुनवर्गीकृत नहीं होगी।

(i) पुनः मूल्यांकन अधिक्य में बदलाव

(ii) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनमापन

(iii) साम्या लिखेत अन्य व्यापक आय के जरिए

(iv) उचित मूल्य बदलाव जो वित्तीय दायित्व के स्वयं की क्रेडिट जोखिम जो उचित मूल्य पर लाभ व हानि के जरिए होती है संबंधित है।

(v) अन्य व्यापक आय का अंश एसोशिएट और संयुक्त उद्यमों में उस सीमा तक जो लाभ या हानि के रूप में वर्गीकृत नहीं की जा सकती है।

(vi) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

(ख) मदें जो लाभ या हानि के रूप में पुनवर्गीकृत की जाएगी;

(i) विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनियम अंतर;

(ii) ऋण लिखते अन्य व्यापक आय के लिए।

(iii) नकद बहाव बचाव में बचाव लिखित में लाभ हानि का प्रभावी भाग

(iv) अन्य व्यापक आय का हिस्सा एसोशेट एवं संयुक्त उद्यम जो लाभ हानि की समा तक वर्गीकृत किया जा सके।

(v) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)।

11. अतिरिक्त सूचना : एबीएफसी समग्र व्यय और आय के संबंध में टिप्पणी, अतिरिक्त सूचना के जरिए निम्नलिखित मदों का खुलासा करेंगी;

i. अवक्षरण, क्रमिक अपाकरण और क्षति

ii. लेखापरीक्षक का भुगतान (क) लेखापरीक्षक, (ख) करारोपण मामलों हेतु, (ग) कंपनी विधि मामलों हेतु, (घ) अन्य सेवाओँ हेतु (ड़) खर्चों की प्रतिभूति;

iii. यदि कंपनी धारा 135 के अंतर्गत आती है तो कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों पर उपगत व्यय की राशि; और

iv. असाधारण प्रकृति की मदों के ब्यौरे।

भाग III – समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य निर्देशिकाएं

(1) जहां गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी से समेकित वित्तीय विवरण अर्थात् समेकित तुलनपत्र लाभ और हानि के साम्य और समेकित विवरण में परिवर्तन के समेकित विवरण को तैयार करने अपेक्षा की जाती है वहां एनबीएफसी आवश्यक परिवर्तनों सहित तुलनपत्र, लाभ और हानि की साम्य और विवरण में परिवर्तन का विवरण को तैयार करने में एनबीएफसी को यथालागू इस अनुसूची अपेक्षों का पालन करेगा तथापि, जहां समेकित वित्तीय विवरणों में एनबीएफसी से संबंधित और एनबीएफसी से भिन्न तत्व अंतर्विष्ट है वहां प्रस्तुतिकरण का मिश्रित आधार का समेकित वित्तीय विवरण के लिए वहां अनुसरण किया जा सकेगा जहां दोनों प्रकार के प्रचालन महत्वपूर्ण है इसके अतिरिक्त समेकित वित्तीय विवरण में सूचना का खुलासा लागू भारतीय मानकों में विर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार होगा जो कंपनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल है, अर्थात्-

(I) लाभ या हानि जो गैर नियंत्रक ब्याज और मूल के स्वामी के कारण है लाभ हानि विवरण की प्रस्तुति अवधि के आबंटन के रूप में होगी सके आगे कुल व्यापक आय जो गैर नियंत्रक ब्याज या मूल के स्वामी के कारण है की प्रस्तुति अवधि के आबंटन के रूप में लाभ हानि विवरण में होगी। पूर्व उल्लिखित खुलासे कुल व्यापक आय हेतु साम्या में बदलाव के विवरण में भी किए जाएंगे। भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकता हेतु खुलासे के अतिरिक्त पूर्व उल्लिखित खुलासे अन्य व्यापक आय के संबंध में भी किए जाएंगे।

(II) तुलनपत्र एवं साम्या में बदलाव, साम्या के भीतर का विवरण भी मूल के स्वामी की साम्या से पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(III) साम्या तरीके के प्रयोग हेतु विनिधानों का कारण बताना।

(2) समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित की अतिरिक्त सूचना के अंश रूप में खुलासा किया जाएगा:

समूह में निकाय का नाम	**निवल आस्तियां अर्थात् कुल आस्तियां घटाएं कुल दायित्व**		**लाभ या हानि में अंश**		**अन्य समेकित आय में शेयर**		**कुल व्यापक आय में शेयर**	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
मूल अनुषंगियां भारतीय 1. 2. 3. विदेशी 1. 2. 3. सभी अनुषंगियों में गैर नियंत्रक ब्याज एसोशिएट (साम्या तरीके के अनुसार विनिधान भारतीय 1. 2. 3. विदेशी 1. 2. 3.								

संयुक्त उद्यम(साम्या तरीके के अनुसार निवेश) भारतीय 1. 2. 3. विदेशी 1. 2. 3.								
कुल								

(3) सभी सहायक, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम (चाहे वे भारतीय या विदेशी हो) को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया जाएगा।

(4) निकाय, सभी सहायकों, या एसोशिएट या संयुक्त उदयमों जिसको, समेकित वित्तीय विवरहण में समेकित वित्तीय विवरण में समेकित किया जाता है की सूची भी समेकित नहीं करने के कारणों के साथ खुलासा करना होगा।

[फा.स. 17/62/2015-सीएल-V भाग-I]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: अधिसूचना संख्या का.आ. 902(अ) तारीख 26 मार्च, 2014 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III को 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त किया गया और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. संख्या 679(अ) तारीख 04 सितंबर, 2015 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 404(अ) तारीख 06 अप्रैल, 2016 द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2018

G.S.R. 1022(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendments in Schedule III to the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

In the said Schedule,-

(a) in Division I,-

(i) under the heading "General instructions for preparation of Balance Sheet and statement of Profit and Loss of a company", under sub-heading "General instructions", in paragraph 4, in clause (ii), for the word "shall", the word "should" shall be substituted;

(ii) in Part I- Balance Sheet,-

(A) under the heading "II Assets", under sub-heading "Non-current assets", for the words "Fixed assets", the words "Property, Plant and Equipment" shall be substituted;

(B) in the "Notes", under the heading "General Instructions for preparation of Balance Sheet", in paragraph 6,-

(I) under the heading "B. Reserves and Surplus", in item (i), in sub- item (c), the word "Reserve" shall be omitted;

(II) in clause W., for the words "fixed assets", the words "Property, Plant and Equipment" shall be substituted;

(b) in Division II, in Part I- Balance Sheet,-

(i) under the heading "Equity and Liabilities", for the words "Trade payables" at both the places where they occur, the following shall be substituted, namely:—

"Trade Payables:-

(A) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises; and

(B) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises.";

(ii) under the heading "Statement of Changes in Equity", under sub-heading "B. Other Equity",-

(A) for the words "Securities Premium Reserve", the words "Securities Premium" shall be substituted;

(B) The "Note" shall be renumbered as clause (i) thereof and after clause (i) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-

"(ii) A description of the purposes of each reserve within equity shall be disclosed in the Notes.";

(iii) in the "Notes", under the heading "General Instructions for Preparation of Balance Sheet",-

(A) in paragraph 6,-

(I) under the heading "A. Non-Current Assets",-

(i) under sub-heading "VII. Trade Receivables", for item (i), the following shall be substituted, namely:—

"(i) Trade Receivables shall be sub-classified as:

(a) Trade Receivables considered good - Secured;

(b) Trade Receivables considered good - Unsecured;

(c) Trade Receivables which have significant increase in Credit Risk; and

(d) Trade Receivables - credit impaired.";

(ii) under sub-heading "VIII. Loans", for item (ii), the following shall be substituted, namely:—

"(ii) Loans Receivables shall be sub-classified as:

(a) Loans Receivables considered good - Secured;

(b) Loans Receivables considered good - Unsecured;

(c) Loans Receivables which have significant increase in Credit Risk; and

(d) Loans Receivables - credit impaired,";

(II) under the heading "B. Current Assets",-

(i) under sub-heading "III. Trade Receivables", for item (i) the following shall be substituted, namely:—

"(i) Trade Receivables shall be sub-classified as:

(a) Trade Receivables considered good - Secured;

(b) Trade Receivables considered good - Unsecured;

(c) Trade Receivables which have significant increase in Credit Risk; and

(d) Trade Receivables - credit impaired.";

(ii) under sub-heading "V. Loans", for item (ii), the following shall be substituted, namely:—

"(ii) Loans Receivables shall be sub-classified as:

(a) Loans Receivables considered good - Secured;

(b) Loans Receivables considered good - Unsecured;

(c) Loans Receivables which have significant increase in Credit Risk; and

(d) Loans Receivables - credit impaired.";

(III) after the heading "F. Current Liabilities" and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"FA. Trade Payables

The following details relating to micro, small and medium enterprises shall be disclosed in the notes:-

(a) the principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year;

(b) the amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year;

(c) the amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006;

(d) the amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year; and

(e) the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

Explanation.- The terms 'appointed day', 'buyer', 'enterprise', 'micro enterprise', 'small enterprise' and 'supplier', shall have the same meaning as assigned to them under clauses (b), (d), (e), (h), (m) and (n) respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.".

(B) in paragraph 9, after the words "For instance,", the words "plain vanilla" shall be inserted;

(c) after Division II and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"Division III

Financial Statements for a Non-Banking Financial Company (NBFC) whose financial statements are drawn up in compliance of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015.

GENERAL INSTURCTIONS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF A NON-BANKING FINANCIAL COMPANY (NBFC) THAT IS REQUIRED TO COMPLY WITH INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (Ind AS)

1. Every Non-Banking Financial company as defined in the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016 to which Indian Accounting Standards apply, shall prepare its financial statements in accordance with this Schedule or with such modification as may be required under certain circumstances.
2. Where compliance with the requirements of relevant Act, Regulations, Guidelines or Circulars issued by the relevant regulator from time to time including Indian Accounting Standards (Ind AS) (except the option of presenting assets and liabilities in accordance with current, non-current classification as provided by relevant Ind AS) as applicable to the NBFCs require any change in treatment or disclosure including addition, amendment, substitution or deletion in the head or sub-head or any changes inter se, in the financial statements or statements forming part thereof, the same shall be made and the requirements under this Schedule shall stand modified accordingly.
3. The disclosure requirements specified in this Schedule are in addition to and not in substitution of the disclosure requirements specified in the Indian Accounting Standards. Additional disclosures specified in the Indian Accounting Standards shall be made in the Notes or by way of additional statement or statements unless required to be disclosed on the face of the Financial Statements. Similarly, all other disclosures as required by the Companies Act, 2013 shall be made in the Notes in addition to the requirements set out in this Schedule.
4. (i) Notes shall contain information in addition to that presented in the Financial Statements and shall provide where required-
   (a) narrative descriptions or disaggregations of items recognised in those statements; and
   (b) information about items that do not qualify for recognition in those statements.

   (ii) Each item on the face of the Balance Sheet, Statement of Changes in Equity and Statement of Profit and Loss shall be cross-referenced to any related information in the Notes. In preparing the Financial Statements including the Notes, a balance shall be maintained between providing excessive details that may not assist users of Financial Statements and not providing important information as a result of too much aggregation.
5. Depending upon the total income of the NBFC, the figures appearing in the Financial Statements shall be rounded off as below:

Total Income	Rounding off
(i) less than one hundred crore rupees	To the nearest hundreds, thousands, lakhs or millions, or decimals thereof.
(ii) one hundred crore rupees or more	To the nearest, lakhs, millions or crores, or decimals thereof.

Once a unit of measurement is used, it should be used uniformly in the Financial Statements.

6. Financial Statements shall contain the corresponding amounts (comparatives) for the immediately preceding reporting period for all items shown in the Financial Statements including Notes except in the case of first Financial Statements after incorporation.

7. Financial Statements shall disclose all 'material' items, i.e., the items if they could, individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements. Materiality depends on the size or nature of the item or a combination of both, to be judged in the particular circumstances.

8. For the purpose of this Schedule, the terms used herein shall have the same meanings assigned to them in Indian Accounting Standards.

9. Where any Act, Regulation, Guidelines or Circulars issued by the relevant regulators from time to time requires specific disclosures to be made in the standalone financial statements of an NBFC, the said disclosures shall be made in addition to those required under this Schedule.

10. The NBFCs preparing financial statements as per this Schedule may change the order of presentation of line items on the face of financial statements or order of line items within the schedules in order of liquidity, if appropriate, considering the operations performed by the NBFC.

Note: This Schedule sets out the minimum requirements for disclosure on the face of the Financial Statements, i.e., Balance Sheet, Statement of Changes in Equity for the period, the Statement of Profit and Loss for the period (The term 'Statement of Profit and Loss' has the same meaning as 'Profit and Loss Account') and Notes. Cash flow statement shall be prepared, where applicable, in accordance with the requirements of the relevant Indian Accounting Standard.

Line items, sub-line items and sub-totals shall be presented as an addition or substitution on the face of the Financial Statements when such presentation is relevant to an understanding of the NBFC's financial position or performance or to cater to categories of NBFCs as prescribed by the relevant regulator or sector-specific disclosure requirements or when required for compliance with the amendments to the relevant statutes or under the Indian Accounting Standards.

PART I –BALANCE SHEET

Name of the Non-Banking Financial Company……

Balance Sheet as at ……

(Rupees in……)

	Particulars	**Note No.**	**Figures as at the end of current reporting period**	**Figures as at the end of the previous reporting period**
	1		2	3
	ASSETS			
(1)	**Financial Assets**			
(a)	Cash and cash equivalents			
(b)	Bank Balance other than (a) above			
(c)	Derivative financial instruments			
(d)	Receivables			
	(I) Trade Receivables			
	(II) Other Receivables			
(e)	Loans			
(f)	Investments			
(g)	Other Financial assets (to be specified)			
(2)	**Non-financial Assets**			
(a)	Inventories			
(b)	Current tax assets (Net)			
(c)	Deferred tax Assets (Net)			
(d)	Investment Property			
(e)	Biological assets other than bearer plants			
(f)	Property, Plant and Equipment			
(g)	Capital work-in-progress			
(h)	Intangible assets under development			
(i)	Goodwill			
(j)	Other Intangible assets			
(k)	Other non-financial assets (to be specified)			
	Total Assets			

	LIABILITIES AND EQUITY			
	LIABILITIES			
(1)	**Financial Liabilities**			
(a)	Derivative financial instruments			
(b)	Payables			
	(I)Trade Payables			
	(i) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises			
	(ii) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises			
	(II) Other Payables			
	(i) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises			
	(ii) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises			
(c)	Debt Securities			
(d)	Borrowings (Other than Debt Securities)			
(e)	Deposits			
(f)	Subordinated Liabilities			
(g)	Other financial liabilities(to be specified)			
(2)	**Non-Financial Liabilities**			
(a)	Current tax liabilities (Net)			
(b)	Provisions			
(c)	Deferred tax liabilities (Net)			
(d)	Other non-financial liabilities(to be specified)			
(3)	**EQUITY**			
(a)	Equity Share capital			
(b)	Other Equity			
	Total Liabilities and Equity			

See accompanying notes to the financial statements

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Name of the Non-Banking Financial Company……

Statement of Changes in Equity for the period ended ……

(Rupees in……..)

A. Equity Share Capital

Balance at the beginning of the reporting period	Changes in equity share capital during the year	Balance at the end of the reporting period
Xxx	xxx	xxx

B. Other Equity

	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Reserves and Surplus					Debt instruments through Other Comprehensive Income	Equity Instruments through Other Comprehensive Income	Effective portion of Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of Other Comprehensive Income (specify nature)	Money received against share warrants	Total
			Statutory Reserves	Capital Reserve	Securities Premium	Other Reserves (specify nature)	Retained Earnings								
Balance at the beginning of the reporting period															
Changes in accounting policy/prior period errors															
Restated balance at the beginning of the reporting period															
Total Comprehensive Income for the year															
Dividends															
Transfer to retained earnings															
Any other change (to be specified)															
Balance at the end of the reporting period															

Note:

(i) Remeasurement of defined benefit plans and fair value changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at fair value through profit or loss shall be recognised as a part of retained earnings with separate disclosure of such items alongwith the relevant amounts in the Notes.

(ii) A description of the purpose of each reserve within equity shall be disclosed in the Notes.

Notes

GENERAL INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF BALANCE SHEET

A Non-Banking Financial company shall disclose the following in the notes to accounts:

(A) Cash and cash equivalents: Cash and cash equivalents shall be classified as:

(i) Cash on hand

(ii) Balances with Banks (of the nature of cash and cash equivalents);

(iii) Cheques, drafts on hand; and

(iv) Others (specify nature).

Cash and Bank balances: The following disclosures with regard to cash and bank balances shall be made:

(i) Earmarked balances with banks (for example, for unpaid dividend) shall be separately stated.

(ii) Balances with banks to the extent held as margin money or security against the borrowings, guarantees, other commitments shall be disclosed separately.

(iii) Repatriation restrictions, if any, in respect of cash and bank balances shall be separately stated.

(B) Derivative financial Instruments

1 Explain use of derivatives

2 Cross-reference to Financial Risks section for management of risks arising from derivatives

Part I	**(Current Year)**			**(Previous Year)**		
	Notional amounts	**Fair Value - Assets**	**Fair Value - Liabilities**	**Notional amounts**	**Fair Value - Assets**	**Fair Value - Liabilities**
(i)Currency derivatives:						
-Spot and forwards						
-Currency Futures						
-Currency swaps						
-Options purchased						
-Options sold (written)						
-Others						
Sub total (i)						
(ii)Interest rate derivatives						
-Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps						
-Options purchased						
-Options sold (written)						
-Futures						
-Others						
Subtotal(ii)						
(iii)Credit derivatives						
(iv) Equity linked derivatives						
(v) Other derivatives (Please specify)						
Total Derivative Financial Instruments (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)						
Part II						

Included in above (Part I) are derivatives held for hedging and risk management purposes as follows:						
(i)Fair value hedging:						
- Currency derivatives						
- Interest rate derivatives						
- Credit derivatives						
- Equity linked derivatives						
- Others						
Sub total (i)						
(ii)Cash flow hedging:						
- Currency derivatives						
- Interest rate derivatives						
- Credit derivatives						
- Equity linked derivatives						
- Others						
Sub total (ii)						
(iii)Net investment hedging:						
(iv) Undesignated Derivatives						
Total Derivative Financial Instruments (i)+ (ii)+(iii)+(iv)						

With respect to hedges and hedge accounting, NBFCs may provide a description in accordance with the requirements of Indian Accounting Standards, of how derivatives are used for hedging, explain types of hedges recognized for accounting purposes and their usage/application by the entity.

(C) Receivables:

(i) Receivables shall be sub-classified as:

(a) Receivables considered good - Secured;

(b) Receivables considered good - Unsecured;

(c) Receivables which have significant increase in Credit Risk; and

(d) Receivables - credit impaired

(ii) Allowance for impairment loss allowance shall be disclosed under the relevant heads separately.

(iii) Debts due by directors or other officers of the NBFC or any of them either severally or jointly with any other person or debts due by firms including limited liability partnerships (LLPs), private companies respectively in which any director is a partner or a director or a member should be separately stated.

(D) Loans

	(Current Year)						(Previous Year)					
	Amor-tised cost	At Fair Value			Sub total	Total	Amor-tised cost	At Fair Value			Sub total	Total
		Through Other Compre-hensive Income	Through profit or loss	Designat-ed at fair value through profit or loss				Through Other Comprehen-sive Income	Through profit or loss	Designat-ed at fair value through profit or loss		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3+4)	(6=1+5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=8+9+10)	(12=(7)+(11)
Loans												
(A) (i) Bills Purchased and Bills Discounted												
(ii) Loans repayable on Demand												
(iii) Term Loans												
(iv) Leasing												
(v) Factoring												
(vi) Others (to be specified)												
Total (A) -Gross												
Less:Impairment loss allowance												
Total (A) - Net												
(B) (i) Secured by tangible assets												
(ii)Secured by intangible assets												
(iii) Covered by Bank/Government Guarantees												
(iv) Unsecured												
Total (B)-Gross												
Less: Impairment loss allowance												
Total (B)-Net												
(C) (I) Loans in India												
(i) Public Sector												
(ii) Others (to be specified)												
Total (C)- Gross												
Less: Impairment loss allowance												
Total(C) (I)-Net												
(C) (II)Loans outside India												
Less: Impairment												

loss allowance												
Total (C) (II)- Net												
Total C(I) and C(II)												

(E) Investments

Investments														
Invest-vest-ments	**(Current Year)**							**(Previous Year)**						
	Amor-tised cost	**At Fair Value**			**Sub-Total**	**Oth-ers***	**Total**	**Amor-tised cost**	**At Fair Value**			**Sub-Total**	**Oth-ers***	**Total**
		Through Other Compre-hensive Income	**Thro ugh profit or loss**	**Desig-nated at fair value through profit or loss**					**Through Other Compre-hensive Income**	**Thro ugh profit or loss**	**Desig-nated at fair value throug h profit or loss**			
	(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)=(2)+ (3)+(4)**	**(6)**	**(7)=(1) + (5)+(6)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)=(9)+ (10)+(11)**	**(13)**	**(14)=(8)+ (12)+(13)**
Mutual funds														
Gov-ernment securi-ties														
Other ap-proved securi-ties														
Debt securi-ties														
Equity instru-ments														
Subsid-iaries														
Associ-ates														
Joint Ven-tures														
Others (speci-fy)														
Total – Gross (A)														
(i) Invest-ments outside India														
(ii) Invest-ments in India														
Total (B)														
Total (A) to tally with (B)														

Less: Allow-ance for Impair-pair-ment loss (C)														
Total – Net D= (A)-(C)														
* Other basis of measurement such as cost may be explained as a footnote														

(F) Investment Property

A reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of property at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations and other adjustments and the related depreciation and impairment losses or reversals shall be disclosed separately.

(G) Biological Assets other than bearer plants:

A reconciliation of the carrying amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations and other adjustments shall be disclosed separately.

(H)Property, Plant and Equipment

(i) Classification shall be given as:

(a) Land

(b) Buildings

(c) Plant and Equipment

(d) Furniture and Fixtures

(e) Vehicles

(f) Office equipment

(g) Bearer Plants

(h) Others (specify nature)

(ii) Assets under lease shall be separately specified under each class of asset.

(iii) A reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations and other adjustments and the related depreciation and impairment losses or reversals shall be disclosed separately.

(I) Goodwill

A reconciliation of the gross and net carrying amount of goodwill at the beginning and end of the reporting period showing additions, impairments, disposals and other adjustments.

(J) Other Intangible assets

(i) Classification shall be given as:

(a) Brands or trademarks

(b) Computer software

(c) Mastheads and publishing titles

(d) Mining rights

(e) Copyrights, patents, other intellectual property rights, services and operating rights

(f) Recipes, formulae, models, designs and prototypes

(g) Licenses and franchises

(h) Others (specify nature)

(ii) A reconciliation of the gross and net carrying amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposals, acquisitions through business combinations and other adjustments and the related amortization and impairment losses or reversals shall be disclosed separately.

(K) Payables

The following details relating to Micro, Small and Medium Enterprises shall be disclosed:

(a) the principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year;

(b) the amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year;

(c) the amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006;

(d) the amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year; and

(e) the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

Explanation.- The terms 'appointed day', 'buyer', 'enterprise', 'micro enterprise', 'small enterprise' and 'supplier', shall have the same meaning assigned to those under clauses (b), (d), (e), (h), (m) and (n) respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006."

(L) Debt Securities

	(Current Year)				**(Previous Year)**			
	At Amortised Cost	**At Fair Value Through profit or loss**	**Designated at fair value through profit or loss**	**Total**	**At Amortised Cost**	**At Fair Value Through profit or loss**	**Designated at fair value through profit or loss**	**Total**
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)
Liability component of compound financial instruments								
Others (Bonds/ Debenture etc.)								
Total (A)								
Debt securities in India								
Debt securities outside India								
Total (B) to tally with (A)								

(i) bonds or debentures (along with the rate of interest, and particulars of redemption or conversion, as the case may be) shall be stated in descending order of maturity or conversion, starting from earliest redemption or conversion date, as the case may be. Where bonds/debentures are redeemable by installments, the date of maturity for this purpose must be reckoned as the date on which the first installment becomes due;

(ii) particulars of any redeemed bonds or debentures which the NBFC has power to reissue shall be disclosed.

(M) Borrowings (Other than Debt Securities)

	(Current Year)				**(Previous Year)**			
	At Amortised Cost	**At fair value Through profit or loss**	**Designated at fair value through profit or loss**	**Total**	**At Amortised Cost**	**At fair value Through profit or loss**	**Designated at fair value through profit or loss**	**Total**
	(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)=(1)+(2)+(3)**	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)=(1)+(2)+(3)**
(a)Term loans								
(i)from banks								
(ii)from other parties								
(b)Deferred payment liabilities								
(c)Loans from related parties								
(d) Finance lease obligations								
(e)Liability component of compound financial instruments								
(f)Loans repayable on demand								
(i)from banks								
(ii)from other parties								
(g) Other loans (specify nature)								
Total (A)								
Borrowings in India								
Borrowings outside India								
Total (B) to tally with (A)								

(i) Borrowings shall further be sub-classified as secured and unsecured. Nature of security shall be specified separately in each case.

(ii) Where borrowings have been guaranteed by directors or others, the aggregate amount of such borrowings under each head shall be disclosed;

(iii) terms of repayment of term loans and other loans shall be stated; and

(iv) period and amount of default as on the balance sheet date in repayment of borrowings and interest shall be specified separately in each case.

(N) Deposits

	(Current Year)				**(Previous Year)**			
	At Amortised Cost	**At fair value through profit or loss**	**Designated at fair value through profit or loss**	**Total**	**At Amortised Cost**	**At fair value through profit or loss**	**Designated at fair value through profit or loss**	**Total**
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)+(7)
Deposits								
(i) Public Deposits								

(ii) From Banks								
(iii)From Others								
Total								

(O) Subordinated Liabilities

	(Current Year)				**(Previous Year)**			
	At Amortised Cost	**At fair value through profit or loss**	**Designated at fair value through profit or loss**	**Total**	**At Amortised Cost**	**At fair value through profit or loss**	**Designated at fair value through profit or loss**	**Total**
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+ (6)+(7)
Perpetual Debt Instruments to the extent that do not qualify as equity								
Preference Shares other than those that qualify as Equity								
Others (specifying the nature and type of instrument issued)								
Total (A)								
Subordinated Liabilities in India								
Subordinated Liabilities outside India								
Total (B) to tally with (A)								

(P) Other Financial Liabilities (to be specified): Other Financial liabilities shall be classified as-

(a) Interest accrued;

(b) Unpaid dividends;

(c) Application money received for allotment of securities to the extent refundable and interest accrued thereon;

(d) Unpaid matured deposits and interest accrued thereon;

(e) Unpaid matured debentures and interest accrued thereon;

(f) Margin money (to be specified);and

(g) Others (specify nature)

(Q) Provisions: The amounts shall be classified as-

(a) Provision for employee benefits; and

(b) Others (specify nature)

(R) Other Non-financial liabilities (to be specified):

(a) Revenue received in advance;

(b) Other advances (Specify nature); and

(c) Others (specify nature).

(S) Equity Share Capital : For each class of equity share capital:

(a) the number and amount of shares authorized;

(b) the number of shares issued, subscribed and fully paid, and subscribed but not fully paid;

(c) par value per share;

(d) a reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the end of the period;

(e) the rights, preferences and restrictions attaching to each class of shares including restrictions on the distribution of dividends and the repayment of capital;

(f) shares in respect of each class in the company held by its holding company or its ultimate holding company including shares held by or by subsidiaries or associates of the holding company or the ultimate holding company in aggregate;

(g) shares in the company held by each shareholder holding more than five percent shares specifying the number of shares held;

(h) shares reserved for issue under options and contracts/commitments for the sale of shares or disinvestment, including the terms and amounts;

(i) For the period of five years immediately preceding the date at which the Balance Sheet is prepared:

- Aggregate number and class of shares allotted as fully paid up pursuant to contract without payment being received in cash;
- Aggregate number and class of shares allotted as fully paid up by way of bonus shares; and
- Aggregate number and class of shares bought back;

(j) terms of any securities convertible into equity shares issued along with the earliest date of conversion in descending order starting from the farthest such date;

(k) calls unpaid (showing aggregate value of calls unpaid by directors and officers);

(l) forfeited shares (amount originally paid up)

(m) An NBFC shall disclose information that enables users of its financial statements to evaluate the NBFC's objectives, policies and processes for managing capital.

(T) Other Equity

(i) Other Reserves' shall be classified in the notes as:

(a) Capital Redemption Reserve;

(b) Debenture Redemption Reserve;

(c) Share Options Outstanding Account;

(d) Statutory Reserves; and

(e) Others – (specify the nature and purpose of each reserve and the amount in respect thereof);

(Additions and deductions since last balance sheet to be shown under each of the specified heads)

(ii) Retained Earnings represents surplus i.e. balance of the relevant column in the Statement of Changes in Equity;

(iii) A reserve specifically represented by earmarked investments shall disclose the fact that it is so represented;

(iv) Debit balance of Statement of Profit and Loss shall be shown as a negative figure under the head 'retained earnings'. Similarly, the balance of 'Other Equity', after adjusting negative balance of retained earnings, if any, shall be shown under the head 'Other Equity' even if the resulting figure is in the negative;

(v) Under the sub-head 'Other Equity', disclosure shall be made for the nature and amount of each item; and

(vi) Under the sub-head 'Other Equity', disclosure shall be made for conditions or restrictions for distribution attached to statutory reserves.

(U) Contingent Liabilities and commitments (to the extent not provided for)

(i) Contingent Liabilities shall be classified as:

(a) Claims against the company not acknowledged as debt;

(b) Guarantees excluding financial guarantees; and

(c) Other money for which the company is contingently liable

(ii) Commitments shall be classified as:

(a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for;

(b) Uncalled liability on shares and other investments partly paid;

(c) Other commitments (specify nature).

(V) The amount of dividends proposed to be distributed to equity and preference shareholders for the period and the related amount per share shall be disclosed separately. Arrears of fixed cumulative dividends on irredeemable preference shares shall also be disclosed separately.

(W) Where in respect of an issue of securities made for a specific purpose the whole or part of amount has not been used for the specific purpose at the Balance Sheet date, there shall be indicated by way of note how such unutilized amounts have been used or invested.

(X) Other Classification related General Instructions

1. When an NBFC applies an accounting policy retrospectively or makes a restatement of items in the financial statements or when it reclassifies items in its financial statements, the NBFC shall attach to the Balance Sheet, a "Balance Sheet" as at the beginning of the earliest comparative period presented.
2. Share application money pending allotment shall be classified into equity or liability in accordance with relevant Indian Accounting Standards. Share application money to the extent not refundable shall be shown under the head Equity and share application money to the extent refundable shall be separately shown under 'Other financial liabilities'.
3. Preference shares including premium received on issue, shall be classified and presented as 'Equity' or 'Liability' in accordance with the requirements of the relevant Indian Accounting Standards. Accordingly, the disclosure and presentation requirements in this regard applicable to the relevant class of equity or liability shall be applicable *mutatis mutandis* to the preference shares. For instance, plain vanila redeemable preference shares shall be classified and presented under 'liabilities' as 'borrowings' or 'subordinated liability' and the disclosure requirements in this regard applicable to such borrowings shall be applicable *mutatis mutandis* to redeemable preference shares.
4. Compound financial instruments such as convertible debentures, where split into equity and liability components, as per the requirements of the relevant Indian Accounting Standards, shall be classified and presented under the relevant heads in ''Liabilities and Equity'.
5. Regulatory Deferral Account Balances shall be presented in the Balance Sheet in accordance with the relevant Indian Accounting Standards.

PART II – STATEMENT OF PROFIT AND LOSS

Name of the Non-Banking Financial Company……
Statement of Profit and Loss for the period ended ……

(Rupees in ……..)

	Particulars	**Note No.**	**Figures for the current reporting period**	**Figures for the previous reporting period**
	Revenue from operations			
(i)	Interest Income			
(ii)	Dividend Income			
(iii)	Rental Income			
(iv)	Fees and commission Income			
(v)	Net gain on fair value changes			
(vi)	Net gain on derecognition of financial instruments under amortised cost category			
(vii)	Sale of products(including Excise Duty)			
(viii)	Sale of services			
(ix)	Others (to be specified)			
(I)	**Total Revenue from operations**			
(II)	Other Income (to be specified)			
(III)	**Total Income (I+II)**			
	Expenses			
(i)	Finance Costs			
(ii)	Fees and commission expense			
(iii)	Net loss on fair value changes			
(iv)	Net loss on derecognition of financial instruments under amortised cost category			
(v)	Impairment on financial instruments			
(vi)	Cost of materials consumed			
(vii)	Purchases of Stock-in-trade			
(viii)	Changes in Inventories of finished goods, stock-in-trade and work-in- progress			
(ix)	Employee Benefits Expenses			
(x)	Depreciation, amortization and impairment			
(xi)	Others expenses (to be specified)			
(IV)	**Total Expenses (IV)**			
(V)	Profit / (loss) before exceptional items and tax (III-IV)			
(VI)	Exceptional items			
(VII)	Profit/(loss) before tax (V -VI)			
(VIII)	Tax Expense: (1) Current Tax (2) Deferred Tax			

(IX)	Profit / (loss) for the period from continuing operations(VII-VIII)			
(X)	Profit/(loss) from discontinued operations			
(XI)	Tax Expense of discontinued operations			
(XII)	Profit/(loss) from discontinued operations(After tax) (X-XI)			
(XIII)	**Profit/(loss) for the period (IX+XII)**			
(XIV)	**Other Comprehensive Income**			
	(A) (i) Items that will not be reclassified to profit or loss (specify items and amounts)			
	(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss			
	Subtotal (A)			
	(B) (i) Items that will be reclassified to profit or loss (specify items and amounts)			
	(ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss			
	Subtotal (B)			
	Other Comprehensive Income (A + B)			
(XV)	**Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV) (Comprising Profit (Loss) and other Comprehensive Income for the period)**			
(XVI)	**Earnings per equity share (for continuing operations)**			
	Basic (Rs.)			
	Diluted (Rs.)			
(XVII)	**Earnings per equity share (for discontinued operations)**			
	Basic (Rs.)			
	Diluted (Rs.)			
(XVIII)	**Earnings per equity share (for continuing and discontinued operations)**			
	Basic (Rs.)			
	Diluted (Rs.)			

See accompanying notes to the financial statements

Notes

GENERAL INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF STATEMENT OF PROFIT AND LOSS

1. The provisions of this Part shall apply to the income and expenditure account, in like manner as they apply to a Statement of Profit and Loss.

2. The Statement of Profit and Loss shall include:

(A) Profit or loss for the period;

(B) Other Comprehensive Income for the period.

The sum of (A) and (B) above is 'Total Comprehensive Income'.

3. Interest Income

Particulars	(Current Year)			(Previous Year)		
	On Financial Assets measured at fair value through OCI	On Financial Assets measured at Amortised Cost	Interest Income on Financial Assets classified at fair value through profit or loss	On Financial Assets measured at fair value through OCI	On Financial Assets measured at Amortised Cost	Interest Income on Financial Assets classified at fair value through profit or loss
Interest on Loans						
Interest income from investments						
Interest on deposits with Banks						
Other interest Income						
Total						

4. Net gain/ (loss) on fair value changes*

Particulars	(Current Year)	(Previous Year)
(A) Net gain/ (loss) on financial instruments at fair value through profit or loss		
(i) On trading portfolio		
- Investments		
- Derivatives		
- Others		
(ii) On financial instruments designated at fair value through profit or loss		
(B) Others (to be specified)		
Total Net gain/(loss) on fair value changes (C)		
Fair Value changes: -Realised -Unrealised		
Total Net gain/(loss) on fair value changes(D) to tally with (C)		

*Fair value changes in this schedule are other than those arising on account of accrued interest income/expense.

5. Other Income (to be specified)

Particulars	(Current Year)	(Previous Year)
Net gain/(loss) on ineffective portion of hedges		
Net gain/(loss) on derecognition of property, plant and equipment		
Net gain or loss on foreign currency transaction and translation (other than considered as finance cost)(to be specified)		
Others (to be specified)*		
Total		

* Any item under the subhead 'Others' which exceeds one per cent of the total income to be presented separately.

6. Finance Costs

Particulars	(Current Year)		(Previous Year)	
	On Financial liabilities measured at fair value through profit or loss	On Financial liabilities measured at Amortised Cost	On Financial liabilities measured at fair value through profit or loss	On Financial liabilities measured at Amortised Cost
Interest on deposits				
Interest on borrowings				
Interest on debt securities				
Interest on subordinated liabilities				
Other interest expense				
Total				

7. Employee Benefits Expenses

Particulars	(Current Year)	(Previous Year)
Salaries and wages		
Contribution to provident and other funds		
Share Based Payments to employees		
Staff welfare expenses		
Others (to be specified)		
Total		

8. Impairment on financial instruments

Particulars	(Current Year)		(Previous Year)	
	On Financial instruments measured at fair value through OCI	On Financial instruments measured at Amortised Cost	On Financial instruments measured at fair value through OCI	On Financial instruments measured at Amortised Cost
Loans				
Investments				
Others (to be specified)				
Total				

9. Other expenses (to be specified)

Particulars	(Current Year)	(Previous Year)
Rent, taxes and energy costs		
Repairs and maintenance		

Communication Costs		
Printing and stationery		
Advertisement and publicity		
Director's fees, allowances and expenses		
Auditor's fees and expenses		
Legal and Professional charges		
Insurance		
Other expenditure		
Total		

* Any item under the subhead 'Others expenditure' which exceeds one per cent of the total income to be presented separately.

10. Other Comprehensive Income shall be classified into-

(A) Items that will not be reclassified to profit or loss

i. Changes in revaluation surplus;

ii. Remeasurements of the defined benefit plans;

iii. Equity Instruments through Other Comprehensive Income;

iv. Fair value changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at fair value through profit or loss;

v. Share of Other Comprehensive Income in Associates and Joint Ventures, to the extent not to be classified into profit or loss; and

vi. Others (specify nature).

(B) Items that will be reclassified to profit or loss;

i. Exchange differences in translating the financial statements of a foreign operation;

ii. Debt Instruments through Other Comprehensive Income;

iii. The effective portion of gains and loss on hedging instruments in a cash flow hedge;

iv. Share of Other Comprehensive Income in Associates and Joint Ventures, to the extent to be classified into profit or loss; and

v. Others (specify nature).

11. Additional Information: An NBFC shall disclose by way of notes, additional information regarding aggregate expenditure and income on the following items:

i. Depreciation, amortisation and impairment

ii. payments to the auditor as (a) auditor, (b) for taxation matters, (c) for company law matters, (d) for other services, (e) for reimbursement of expenses;

iii. in case of NBFCs covered under section 135, amount of expenditure incurred on corporate social responsibility activities; and

iv. details of items of exceptional nature

PART III- ***GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

(1) Where a Non-Banking Financial Company (NBFC) is required to prepare Consolidated Financial Statements, i.e., consolidated balance sheet, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of profit and loss, the NBFC shall mutatis mutandis follow the requirements of this Schedule as applicable to an NBFC in the preparation of balance sheet, statement of changes in equity and statement of profit and loss. However, where the consolidated financial statements contains elements pertaining to NBFCs and other than NBFCs, mixed basis of presentation may be followed for consolidated financial statements where both kinds of operations are significant. In addition, the consolidated financial statements shall disclose the information as per the requirements specified in the applicable Indian Accounting Standards notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015, including the following, namely:-

(i) Profit or loss attributable to 'non-controlling interest' and to 'owners of the parent' in the statement of profit and loss shall be presented as allocation for the period. Further, 'total comprehensive income' for the

period attributable to 'non-controlling interest' and to 'owners of the parent' shall be presented in the statement of profit and loss as allocation for the period. The aforesaid disclosures for 'total comprehensive income' shall also be made in the statement of changes in equity. In addition to the disclosure requirements in the Indian Accounting Standards, the aforesaid disclosures shall also be made in respect of 'other comprehensive income'.

(ii) 'Non-controlling interests' in the Balance Sheet and in the Statement of Changes in Equity, within equity, shall be presented separately from the equity of the 'owners of the parent'.

(iii) Investments accounted for using the equity method.

(2) In Consolidated Financial Statements, the following shall be disclosed by way of additional information:

Name of the entity in the Group	**Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities**		**Share in profit or loss**		**Share in other comprehensive income**		**Share in total comprehensive income**	
	As % of consolidated net assets	Amount	As % of consolidated profit or loss	Amount	As % of consolidated other comprehensive income	Amount	As % of total comprehensive income	Amount
Parent								
Subsidiaries								
Indian								
1.								
2.								
3.								
.								
.								
Foreign								
1.								
2.								
3.								
.								
.								
Non-controlling Interests in all subsidiaries								
Associates (Investment as per the equity method)								
Indian								
1.								
2.								
3.								
.								
.								
Foreign								
1.								
2.								
3.								
.								
.								
Joint								

Ventures(as per the equity method) Indian 1. 2. 3. . . Foreign 1. 2. 3. . .								
Total								

(3) All subsidiaries, associates and joint ventures (whether Indian or foreign) will be covered under consolidated financial statements.

(4) An entity shall disclose the list of subsidiaries or associates or joint ventures which have not been consolidated in the consolidated financial statements along with the reasons of not consolidating.

[F.No. 17/62/2015-CL-V Vol-I]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: Schedule III of the Companies Act, 2013 came into force with effect from the 1st April, 2014 *vide* Notification S.O.902 (E), dated 26th March 2014 and subsequently amended vide Notification G.S.R. 679(E), dated 4th September 2015 and vide Notification G.S.R. 404(E), dated 6th April 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.10.18 19:59:42 +05'30'